संख्या : 23/2024/बी-2-559/दस-2024-244/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनाँक : 07 अगस्त, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 06 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 5 सन् 2024) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनाँक 16 जुलाई, 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नवत् आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2025 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

(3) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इन्हें दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय स्वीकृतियों सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदान में, अनुदान संख्या 42 - न्याय विभाग एवं अनुदान संख्या 52 - राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी है । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत उक्त अग्रिमों की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि का नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनाँक 16 जुलाई, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 23/2024/बी-2-559(1)/दस-2024-244/2024, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
3. **अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8. **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
10. **निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
11. **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
12. **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
13. **गार्ड फाईल ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in